दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–1)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/22 (O-A)–M–**GSM (M-I)-2301**

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Arpit Kumar
Mobile Number: 6394931687
Medium (English/Hindi): Hindi
Reg. Number: 6394931687
Center & Date: Delhi . 20/08/23
UPSC Roll No. (If allotted): 0816567.

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.	4.5	11.	5.0
2.	4.0	12.	6.0
3.	4.0	13.	6.0
4.	3.5	14.	6.5
5.	3.5	15.	6.5
6.	4.0	16.	6.0
7.	4.5	17.	6.5
8.	3.5	18.	6.0
9.	4.0	19.	6.0
10.	4.0	20.	6.0
Grand Total (सकल योग)	100.0		

E-11148.

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

प्रिय अभ्यर्थी –

→ आपका सभी प्रश्न लिखने का प्रयास सराहनीय है।

→ संदर्भ दक्षता ठीक है;

→ परिचय दक्षता अच्छा है;

→ विषय-वस्तु की समझ ठीक है, किंतु थोड़ा और बढ़ा सकते हैं।

→ भाषा/प्रवाह ठीक है;

→ प्रस्तुतीकरण अच्छा है।

• निष्कर्ष, थोड़ा बेहतर उल्लेख कर सकते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

1\. भारतीय संवैधानिक योजना की ब्रिटिश संविधान से तुलना कीजिये। (150 शब्द) 10
Bring out the comparison between the Indian constitutional scheme with that of the British constitution. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत तथा ब्रिटेन दोनों संसदीय लोकतांत्रिक देश हैं परंतु दोनों के अपने विशिष्ट लक्षण हैं।

विधायिका

- समानता: द्विसदनीयता तथा शक्ति पृथक्करण की जगह शक्ति संतुलन
- फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली

असमानता:

- ब्रिटिश संसद सर्वोच्च, वहीं भारतीय संसद संविधान से बंधी होती है
- ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन से; भारत में किसी भी सदन से
- भारतीय उच्च सदन, ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली

कार्यपालिका:

भारत में संविधान सर्वोच्च है।

यहाँ तक कि 6 माह तक किसी को भी सदस्य

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

समानता
- प्रधानमंत्रीय सरकार वास्तविक कार्यपालक

असमानता
- ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र का उपबंध ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी

न्यायपालिका
- भारत में संविधानवाद होने से न्यायपालिका अधिक मजबूत
- ब्रिटेन में कॉमन लॉ, न्यायपालिका का आधार
- ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय का नवीन गठन.

"ब्रिटेन तथा भारत संविधान की उपस्थिति व संवैधानिक राजतंत्र जैसे 2 बड़े मुद्दों पर एक-दूसरे से विशिष्टता प्रकट करते हैं।"

Good.

4.5/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

2. संविधानवाद की अवधारणा चर्चा कीजिये तथा भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में इसे किस प्रकार लागू किया जाता है। (150 शब्द) 10

Discuss the concept of Constitutionalism and how it is enforced in the Indian democratic system. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संविधानवाद से तात्पर्य संविधान के उपबंधों का संरक्षण, संवैधानिक नैतिकता का पालन तथा संविधान के अतिक्रमण न करने से है।

संविधानवाद
- बहुमत प्राप्त दल द्वारा सरकार का गठन - अनु. 18
- विधि की उचित प्रक्रिया का पालन - अनु. 21
- विधि के समक्ष समता - अनु. 14
- प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता समानता, न्याय तथा बंधुत्व जैसे मूल्यों का संरक्षण
- मूल अधिकारों का हनन न करना
- संसद द्वारा विधायी अतिक्रमण न करना

भारत में संविधानवाद का पालन निम्न उपबंधों / प्रक्रिया के माध्यम से

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

किया जाता है-

1. सरकार के तीनो अंगों के मध्य शक्ति संतुलन तथा चेक एंड बैलेंस के द्वारा

2. स्वतंत्र नियामक निकायों की स्थापना करके
   - चुनाव आयोग (Art. 324)
   - सी.ए.जी. (अनु. 148)
   - वित्त आयोग (अनु. 280)

3. न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार देकर

4. लिखित संविधान, संविधान की अस्पष्ट व्याख्या के अवसरों को कम करता है

5. मूल ढाँचा के माध्यम से संसद की संविधायी शक्ति पर तार्किक प्रतिबंध

हालांकि भारत में संविधानवाद की सशक्त परंपरा रही है किंतु नागरिक राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से इसे और मजबूत किया जाना चाहिए।"

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. निर्वाचित राज्यपाल की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल के पीछे के औचित्य की जाँच कीजिये। (150 शब्द) 10

Examine the rationale behind a nominated Governor rather than an elected one. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संयुक्त राज्य के विपरीत कनाडा की भाँति भारत में मनोनीत राज्यपाल (अनु: 156) का प्रावधान किया गया है.

मनोनीत राज्यपाल के प्रावधान के पीछे तर्क:

1. संविधान सभा की बहसों के अनुसार निर्वाचित राज्यपाल, राज्य में मुख्यमंत्री के समानांतर शक्ति स्रोत का कार्य करेगा, जो अंततः टकराव का कारण बनेगा।

2. राज्यपाल की भूमिका को देखते हुये उसका निर्वाचित होना आवश्यक नहीं लगता।

3. चूँकि राज्यपाल, राज्य का औपचारिक पद मात्र है अतः निर्वाचन व्यय, भारत की लोक निधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा.

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

राज्यपाल का निर्वाचन में संलग्न होना उसके कार्यों की गरिमा तथा तटस्थता को प्रभावित करेगा।

हालांकि भारत में मनोनीत राज्यपाल की व्यवस्था निम्न चुनौतियों को जन्म दी है.

1. केंद्र द्वारा राज्यपाल के पद का दुरूपयोग
2. राज्यपाल द्वारा तटस्थता का अनुरक्षण न करना
3. राज्यपाल की बर्खास्तगी के निश्चित आधार न होना.

आगे की राह ←
- राज्यपाल की नियुक्ति समिति के द्वारा
- नियुक्ति के स्पष्ट मानदंड
- बर्खास्तगी में संसद की भूमिका.

"राज्यपाल, भारतीय संघीय व्यवस्था की क्रांतिक कड़ी है, अत: उसके पद की गरिमा हेतु चयन पद्धति में सुधार किये जाने चाहिए"

• राज्यपाल से संबंधित विवादों का उल्लेख करें। शक्तियों को रेखांकित करना।

4.0/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

4. प्रस्तावना के महत्त्व को उजागर करते हुए इसकी संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
Highlight the importance of preamble and discuss its constitutional position. (150 words) 10

भारतीय प्रस्तावना, पं. नेहरु के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है तथा पालकीवाला के अनुसार यह संविधान का परिचय पत्र है।

प्रस्तावना का महत्व :

I. भारत की प्रकृति को स्पष्ट करना.

प्रचावना, भारत को संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथानिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य घोषित करती है।

II. शक्तियों का स्रोत :

प्रस्तावना भारत की जनता को संविधान की शक्तियों का स्रोत घोषित करती है।

III. संविधान कि बारे में जानकारी.

यह संविधान पूर्ण होने की तिथी को स्पष्ट करती है।

अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करने की तिथि अंकित करता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

iv. न्यायालयों द्वारा संविधान की व्याख्या में सहायक

v. संविधाननिर्माताओं के उद्देश्य को स्पष्ट करती है

vi. सरकार की नीतियों हेतु मार्गदर्शन का कार्य

प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति बहस का विषय रही है, जहाँ बेरुबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना वहीं केशवानंद भारती तथा एल॰ आई॰ सी॰ वाद में इसे संविधान का भाग माना है।

वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है किंतु इसका स्वतंत्र विधिक प्रभाव नहीं है।

"प्रस्तावना, संविधान की हृदय व आत्मा होने के नाते संविधान का आवश्यक हिस्सा है।"

3.5/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti IAS

5. भारत का संविधान एक बंद और स्थिर नियम पुस्तिका नहीं अपितु एक जीवंत दस्तावेज है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The Constitution of India is a living document rather than a closed and static rulebook. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की वजह से इसे एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी जाती है।

संविधान नियमों का एक समूह होता है जो जनता को शासन करने का एक तरीका प्रदान करता है चूँकि समय के साथ जनता की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं में परिवर्तन होता है अतः संविधान की व्यवहार्यता को बनाये रखने के लिए उसमें संशोधन आवश्यक हो जाता है।

भारतीय संविधान संशोधन के दृष्टिकोण से अनम्यता व नम्यता का बेहद काम्य मिश्रण प्रदान करता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Drishti The Vision Foundation

भारतीय संविधान संशोधन के तरीके
- संसद के साधारण बहुमत द्वारा - (नागरिकता .....)
- विशेष बहुमत द्वारा (मूल अधि. .....)
- विशेष बहुमत + आधे राज्यों की सहमति द्वारा (अनु. 368)

संविधान में अब तक हुए लगभग 120 संशोधन इसकी जीवंतता तथा व्यवहार्यता को प्रतिबिंबित करते हैं।

हालांकि जीवंतता, एक नये संविधान की जगह न ले ले इस कारण मूल ढांचा आदि के माध्यम से संविधान की मूल आत्मा को संरक्षित किया जाता है।

"आजादी के 75 वर्षों के पश्चात भी संविधान भारतीय समाज का पथाव लोकन कर रहा है, जो अमृत काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।"

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय को भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के रक्षकों में से एक माना जाता है। CAG के कार्यालय को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए उनके निराकरण के सुझाव बताइये। (150 शब्द) 10

The office of the Comptroller and Auditor General of India is considered as one of the bulwarks of democratic system of government in India. Highlight the challenges affecting the office of CAG and suggest ways to address them. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान का अनु 148 नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था करता है; कैग भारतीय लोक वित्त के संरक्षक की भूमिका निभाता है.

- 51 तक

लोकतांत्रिक प्रणाली के रक्षकों में से एक:

1. कैग भारत की संचित निधि साथ ही राज्यों की संचित निधियों का लेखा परीक्षण करता है
2. साथ ही आकस्मिकता निधि व लोक निधि का परीक्षण भी करता है
3. वह चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों का आय-व्यय परीक्षण करता है।
4. वह कर व शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण भी करता है।

→ कैसे सार्वजनिक धन के दुरुप्रयोग की जांच करते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Drishti The Vision Foundation

प्रभावित करने वाले कारक

1. महत्वपूर्ण निगमों की लेखा परीक्षा के कार्य से मुक्ति जैसे रेल, आई.सी.
2. लेखा परीक्षा सिर्फ कुछ ही विभागों तक
3. सीमित विभागीय विशेषज्ञता का न होना
4. लेखा परीक्षा के पश्चात अनियमितता पर कार्यवाई की शक्ति न होना

निराकरण

- → लेखा परीक्षा को बहुनिकाय में परिवर्तित करना
- → कार्यवाई की शक्ति सौंपना
- → विभागीय दस्तावेजों का उचित रखरखाव
- → स्वतंत्र नियामकों के ऊपर पर्यवेक्षीय शक्ति सौंपना

4.0/10

"कैग को आवश्यक शक्तियों का हस्तांतरण भारतीय लोक वित्त के संरक्षण हेतु अत्यावश्यक है"

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

7. लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
Discuss the constitutional position of Rajya Sabha as compared to that of Lok Sabha. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में निम्न सदन तथा उच्च सदन को क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा की संज्ञा दी जाती है.

राज्यसभा, जहाँ लोकसभा के समान है.

1. साधारण विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के पुनः स्थापन में उपर्युक्त दोनों विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया में.

2. वित्त विधेयकों (I) तथा (II) दोनों को पारित करने में समान अधिकार

3. मंत्रिपरिषद में सदस्य की नियुक्ति

4. संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति

5. प्रधानमंत्री का लोकसभा / राज्यसभा किसी से होना

6. आपातकाल की स्वीकृति के मामले में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

जहाँ, लोकसभा से असमान है:

- धन विधेयक के मामले में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में
- आपातकाल के निर्वतन में

केवल राज्यसभा को प्राप्त शक्तियाँ:

- अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन (अनु. 312)
- राज्यों का प्रतिनिधित्व
- राज्य सूची के मामले में संसदीय विधान का उपबंध;

"इस प्रकार स्पष्ट है कि धन विधेयक के अलावा राज्यसभा संसदीय प्रक्रिया में लोकसभा के समान भूमिका का निर्वहन करती है।"

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

8. भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रिटों की व्याख्या करते हुए उनके महत्त्व पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

Explain different types of Writs mentioned in the Indian Constitution and bring out their significance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में रिटों को ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है तथा अनु. 32 को डॉ. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गयी है।

रिटों के प्रकार:

I. बंदी प्रत्यक्षीकरण: → "सशरीर उपस्थित होना"

- अवैध रूप से हिरासत में लिये गये व्यक्ति को राहत के लिए
- निजी तथा सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध उपलब्ध

II. परमादेश: → "हम आदेश देते हैं।"

- अपने विधिक कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ निकायों के विरुद्ध
- केवल सार्वजनिक निकायों के विरुद्ध उपलब्ध

www.drishtiias.com

3. प्रतिषेध
   - अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने पर
   - न्यायालय तथा प्रशासन के विरुद्ध उपलब्ध

4. उत्प्रेषण
   - अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके किये गये कार्य को पलटने हेतु

5. अधिकार पृच्छा
   - सार्वजनिक कार्यालयों में व्यक्ति की वैधता की जाँच हेतु

महत्व
- मूल अधिकारों की प्राप्ति हेतु आवश्यक
- मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में न्यायपालिका को सहायता
- मूल ढाँचे का विस्तार
- सरकार की शक्तियों पर सीमाकारी कार्य

रिट, मूलाधिकारों की प्राप्ति के यथार्थ साधन हैं।"

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

9. भारतीय संविधान न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करके न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी प्रणाली और संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत के बीच के संतुलन को आश्चर्यजनक रूप से स्थापित करता है। चर्चा कीजिये।
(150 शब्द) 10

Indian Constitution wonderfully adopt the midway between American system of Judicial supremacy and British principle of Parliamentary sovereignty by endowing the judiciary with power of judicial review. Discuss.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति (अनु. 32) तथा संसद को संविधायी शक्ति (अनु. 368) प्रदान करके अमेरिकी तथा ब्रिटिश प्रणालियों के मध्य संतुलन स्थापित करता है

Art. 13(2)

दोनों प्रणालियों के मध्य संतुलन.

- ब्रिटेन तथा अमेरिका किसी एक प्रणाली की अति को प्रदर्शित करते हैं
- जहाँ ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता वहीं अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता पायी जाती है.
- वहीं भारत में दोनों न्यायपालिका व विधायिका चेक एंड बैलेंस की भूमिका में हैं तथा

एक-दूसरे को संतुलित करते हुये संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करते हैं।

उदा. न्यायालय के निर्णय को संतुलित करने के लिए संसद आधि. का प्रावधान कर सकती है यथा.

शाह बानो वाद

24 वाँ, 25 वाँ संविधान संशोधन

वहीं न्यायालय, अधिनियम की संवैधानिकता की जाँच कर सकता है तथा अतिक्रमण करने पर अवैध घोषित कर सकता है -

99 वाँ संवि. संशो. अधिनियम

"भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के संचालन में दोनों पद्धतियों में संतुलन का विशेष योगदान रहा है"

10. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थितियों में अंतर पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the difference in position of Indian Supreme Court with that of American Supreme Court. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय तथा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्ति-शाली न्यायालयों में से हैं -

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय	अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय
1. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन	1. विधि की उचित प्रक्रिया का पालन
2. न्यायिक समीक्षा के विस्तृत आधार	2. न्यायिक समीक्षा के सीमित आधार
3. विस्तृत अपीलीय अधिकार	3. केवल संवैधानिक मामलों में अपील
4. सलाहकारी न्यायक्षेत्र का होना	4. ऐसा कोई अधिकार नहीं

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय	अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय
5. 65 वर्ष की उम्र तक कार्यकाल	5. निश्चित कार्यकाल नहीं
6. नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से	6. नियुक्ति सीनेट तथा राष्ट्रपति द्वारा
7. अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षी अधिकार	7. ऐसा कोई अधिकार नहीं
8. न्यायाधीशों द्वारा निर्णय	8. निर्णय में जूरी की भी भूमिका
9. मूल ढाँचा के माध्यम से विधि की वैधता की जाँच	9. विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा जाँच

"हालांकि इन असमानताओं के बावजूद न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता तथा मूल अधिकारों के संरक्षण में दोनों में समानताएँ हैं।"

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

11. संसदीय समितियाँ एक तंत्र के रूप में कार्य करती हैं जो संसद की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करती है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

Parliamentary committees act as a mechanism that helps in improving the effectiveness of the parliament. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संसदीय समितियाँ संसद की आँख और कान की तरह कार्य करते हुये उसकी प्रभाविता में वृद्धि करती हैं।

संसदीय समितियाँ

स्थायी समितियाँ
- एक वर्ष के कार्य-काल के साथ निश्चित प्रकृति

तदर्थ समितियाँ
- किसी विशेष मामले की जाँच के लिए
- यथा डेटा संरक्षण विधेयक हेतु समिति
- बोफोर्स समिति

संसदीय समितियाँ : तंत्र के रूप में

वित्तीय समितियाँ
संसद का एक प्रमुख कार्य भारतीय वित्त पर नियंत्रण रखना होता है; इस कार्य के लिए वित्त विधेयक पारित

www.drishtiias.com

करने से पूर्व विभागीय समितियाँ जाँच करती है तथा विधेयक पारित होने के पश्चात वित्तीय समितियाँ वर्ष भर जाँच का कार्य करती है.

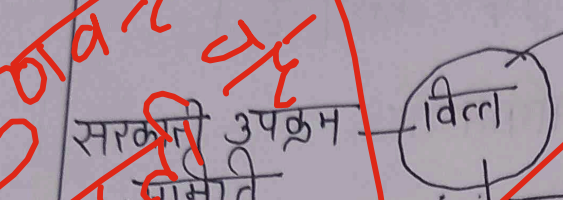

विशेषाधिकार तथा अर्द्ध न्यायिक समितियाँ.

① विशेषाधिकार समिति संसद की संप्रभुता की रक्षा करती है।

② याचिका समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति आदि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

संयुक्त समितियाँ.

संयुक्त समितियों में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं जो

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501

drishti | दृष्टि The Vision

राष्ट्रीय हित के मुद्दों की जाँच करते हैं।

सदन की प्रभावी कार्यवाही के लिए समितियाँ

आचरण समिति, नियम समिति आदि सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप में संपन्न करती हैं।

समितियों की सीमाएँ

I. सिर्फ अनुशंसा कर सकती हैं।

II. कार्य पोस्ट मार्टम की भाँति

III. अनुदेशों के उल्लंघन पर दंड देने की शक्ति नहीं

IV. नीतिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकती आगे की राह

I. रचनात्मक वाद-विवाद के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों को समिति के पास भेजना

II. वित्तीय रूप से समितियों को और शक्ति प्रदान करना।

"भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में संसदीय प्रभावित सुनिश्चित करने में समितियों की महती भूमिका है।"

drishtiias.com

12. राजद्रोह पर कानून को निरस्त करने या संशोधित करने से देश में असंतोष और मुक्त भाषण के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Repealing or modifying the law on sedition can positively impact the future of dissent and free speech in the country. Discuss. (250 words) 15

वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजद्रोह कानून का अस्थायी रूप से क्रियान्वयन रोका गया है।

विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप से घृणा फैलाना जो हिंसा में परिणत हो राजद्रोह का अपराधी बनाती है।

राजद्रोह को निरस्त करने के मुक्त भाषण पर सकारात्मक प्रभाव:

1. राजद्रोह कानून की भाषा अस्पष्ट है जो सरकार को विपक्षी आवाजों के विरुद्ध अधिक शक्ति प्रदान करती है।

2. राजद्रोह कानून, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनु. 19) का उल्लंघन करता है तथा इसका उल्लेख युक्तियुक्त

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

3. अपवादों को भी नहीं किया गया.

NCRB के आंकड़ों के अनुसार राजद्रोह कानून में दोषसिद्धि की दर 2% से भी कम है।

4. राजद्रोह कानून, मृत्युदंड का प्रावधान करता है जो अपराध के अनुपात से अधिक व असंगत है।

5. राजद्रोह कानून का प्रावधान मा[illegible]व्यक्तियों को सरकारी नीतियों की आलोचना करने से रोकता है।

6. राजद्रोह कानून राज्य तथा सरकार में अंतर को मान्यता प्रदान नहीं करता।

विधि आयोग के द्वारा राजद्रोह कानून को समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

आगे की राह:

www.drishtiias.com
8448485517

2. राजद्रोह कानून को समाप्त किया जाए सरकार की स्थिरता तथा राज्य की सुरक्षा हेतु एक नया अधिनियम बनाया जाये जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

3. अधिनियम स्पष्ट तथा सजा आनुपातिक हो।

6.0

"राजद्रोह जैसे आउटडेटेड कानूनों का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने में नहीं किया जाना चाहिए।"

drishti | दृष्टि The Vision

13. किस प्रकार 'मीडिया ट्रायल' न्यायिक प्रकार्यों और आरोपी के मौलिक अधिकारों के लिये खतरा है? (250 शब्द) 15

How is 'Trial by Media' a threat to judicial functions and to the Fundamental Rights of the accused? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मीडिया ट्रायल से तात्पर्य पारंपरिक न्यायपालिका से बाहर पॉपुलर मीडिया द्वारा दोषारोपण की प्रक्रिया में भाग लेना तथा आरोपों पर एक राय कायम करना है।

मीडिया ट्रायल न्यायिक प्रकार्यों के लिए खतरा:

मीडिया टी. आर. पी. से प्रतिबद्ध होता है तथा वह लोगों की भावनाओं आदि कारकों को देखते हुये अपनी राय कायम करता है।

मीडिया की राय, न्यायाधीशों की तटस्थता को भंग करती है तथा अंतत: उनके निर्णयों को प्रभावित करती है।

मीडिया ट्रायल, सजा की तीव्रता को बढ़ाने/घटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मीडिया ट्रायल: आरोपी के मौलिक अधिकारों हेतु खतरा

1. मीडिया ट्रायल आरोपी के प्रति समाज में नफरत का भाव पैदा करता है।
2. आरोपी की निष्पक्ष न्याय तक पहुँच बाधित होती है।
3. आरोपी के अधिवक्ता का मीडिया द्वारा बहिष्कार उसके सुने जाने के अधिकार का हनन करता है।
4. आरोपी के साथ-साथ उसके परिवार को भी मीडिया ट्रायल में आरोपी की तरह प्रदर्शित किया जाता है।

मीडिया ट्रायल विधि के शासन की जगह जनता की भावनाओं तथा बहुमत के आधार पर न्याय तक पहुँचता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

समाधान / आगे की राह

1. पी.टी.आई. तथा अन्य मीडिया नियामकों द्वारा मीडिया हेतु आचार संहिता का निर्माण
2. केस से जुड़ी अहम फाइलों का पुलिस द्वारा सार्वजनिक न किया जाना; सर्वोच्च न्यायालय [F.I.R. सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है]
3. न्यायाधीशों द्वारा तटस्थता के मूल्य की रखी करना
4. जनता द्वारा ऐसे मीडिया चैनलों को हतोत्साहित करना।

"मीडिया ट्रायल, स्वस्थ-निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया हेतु घातक है अतः इस पर विनियमन के माध्यम से रोक लगानी चाहिए।"

मीडिया को पत्रकारिता के धर्म का पालन करना चाहिए, न कि अदालत बनकर कार्य करना चाहिए।

6.0/15

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

14. वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) तंत्र के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिये तथा उनके महत्त्व एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द) 15

Discuss various methods of alternative dispute redressal (ADR) mechanisms and highlight their significance and limitation. (250 words) 15

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र से तात्पर्य पारंपरिक न्यायालयों से इतर न्याय प्रक्रिया को संपन्न करने से है.

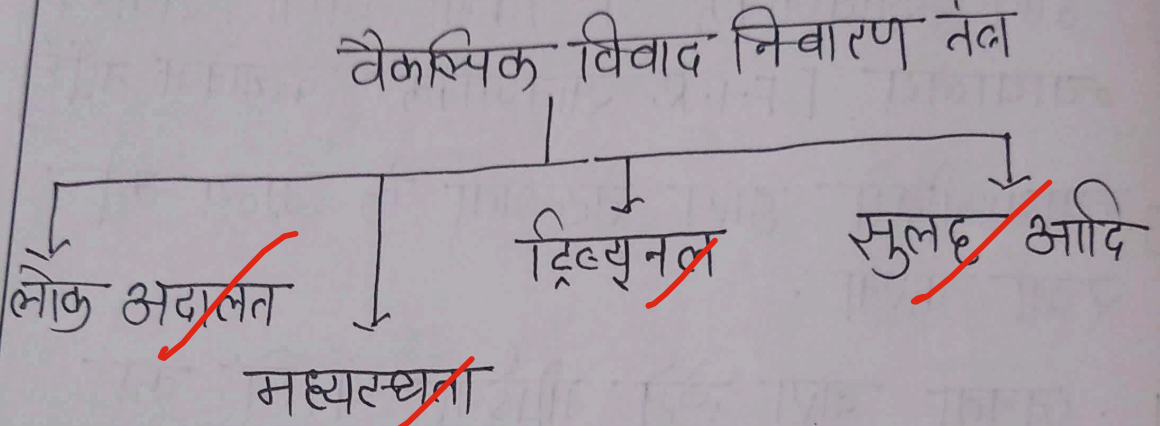

1. लोक अदालत.

यह न्याय प्रक्रिया का गांधीवादी माध्यम है, जो पारस्परिक सौहार्द के साथ-साथ अत्यंत कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराता है।

1987 से स्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था की गयी है।

Art. 323(A)
323(B)

2. अधिकरण (ट्रिब्यूनल)

अधिकरण विशेष मामलों हेतु बनाये जाते हैं यथा —
प्रशासनिक अधि. [कैट]
पर्यावरणीय — [एन. जी. टी.]

3. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम -

मध्यस्थता एवं सुलह प्रक्रिया आपसी बात-चीत द्वारा तथा प्रोफेशनल मध्यस्थ के माध्यम से न्याय कार्य को संपन्न करता है।

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का महत्व

↳ यह पारंपरिक न्याय प्रक्रिया पर बोझ कम करता

↳ त्वरित न्याय निर्णयन को संभव करके विकास में बाधा नहीं बनता

↳ न्यायाधीशों की विशेषज्ञता को उपलब्ध करवाता है

www.drishtiias.com
8750187501, 8448485517

↳ वादी तथा प्रतिवादी के मध्य सौहार्द कायम रखता है

↳ न्याय प्रक्रिया की जटिलता का अनुसरण न करते हुये प्राकृतिक न्याय का अनुसरण

सीमाएँ

- लोगों के मध्य जागरूकता का अभाव
- लोगों की स्वीकृति तथा विश्वास प्राप्त न होना
- निर्णय की अंतिम व्याख्या हेतु पारंपरिक न्यायालय की शरण लेना
- व्यावसायिक न्यायधीशों की कमी होना

"वर्तमान सूचना क्रांति के युग में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का अपना अलग महत्व है अत: इसको संस्थागत रूप प्रदान करना होगा।"

good.

www.drishtiias.com

15. कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियों की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिये कि भारत जैसे लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। (250 शब्द) 15

Discussing the constitutional powers of the Executive, explain how the accountability of the Executive to Parliament is ensured in a parliamentary form of democracy like India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय लोकतंत्र में शक्तियों का वास्तविक उपयोग कार्यपालिका द्वारा किया जाता है जिसका औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रधान क्रमशः राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री होते हैं।

कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियां

1. कार्यपालिका नीतियों का निर्माण करती है तथा क्रियान्वयन करती है।

2. कार्यपालिका बजटीय शक्तियों (अनु. 110) का उपयोग करती है।

3. कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री लोकसभा का विघटन कर सकते हैं।

4. अनु. 75 में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से गठित मंत्रिमंडल वास्तविक शासन प्रक्रिया को अंजाम देता है।

5. कार्यपालिका विधेयकों के निर्माण के कार्य संपन्न करती है।

6. आपदा राहत प्रक्रिया की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है।

भारतीय संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका अन्य दोनों अंगों की अपेक्षा अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है अतः उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है।

---

1. अविश्वास प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव.

अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर कार्यपालिका को इस्तीफा देना पड़ता है।

2. बजट को पारित न होने देना

बजट का पारित न होना सरकार के इस्तीफे को संभव बनाता है।

www.drishtiias.com

drishti | दृष्टि The Vision

3. प्रश्न पूछकर

लिखित, मौखिक तथा अल्पकालिकप्रश्नों के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है

4. विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से
5. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित न करके
6. स्थायी तथा संयुक्त समितियों के द्वारा.

सीमाएँ.

- सरकार का विधायिका में बहुमत, संसदीय नियंत्रण को कमजोर करता है.
- संसद सदस्यों के पास विशेषज्ञता व एकता का अभाव

"संसदीय लोकतंत्र के सुचारु कार्यान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि संसदीय नियंत्रण बना रहे, इस दिशा में संसदीय प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए।"

Good.

16. "संविधान में दसवीं अनुसूची को शामिल किये जाने के बावजूद विधानमंडल सदस्यों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दल बदले जाने का अभ्यास आज भी बेरोकटोक जारी है।" उपर्युक्त कथन के संदर्भ में दल-बदल विरोधी कानून का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये और इसे रोकने के उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 15

"The practice of legislators from changing political parties during their term continues unabated in Indian legislatures despite the Tenth Schedule having been inserted into the Constitution." In light of the above statement, critically analyze the Anti-defection of law and suggest measures to curb it. (250 words) 15

52 वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल को रोकने तथा लोकतांत्रिक सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए दसवीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था।

हालांकि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में हुए दल-बदल यह स्पष्ट करते हैं कि यह अपने उद्देश्यों को पाने में कहीं न कहीं विफल हुआ है।

अधिनियम के बावजूद दल बदल के कारण:

1. अधि में मौजूद 2/3 सदस्यों द्वारा दल बदल का अपवाद का उपबंध

www.drishtiias.com

2. दलबदल के खिलाफ न्याय निर्णयन में सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय न लेना

3. सदस्यों द्वारा यह प्रयास किया जाना कि उनकी गतिविधियों के कारण उन्हें उनके दल से निष्कासित कर दिया जाए और इस तरह वे निरर्ह घोषित नहीं होते।

4. दल बदल के खिलाफ राजनीतिक संस्कृति का न होना

दल बदल करने वाले अधिकांश सदस्य दुबारा चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं।

हालांकि दल बदल अधि. को आंशिक सफलता भी मिली है।

- केंद्र में दल बदल पर कमी
- राज्यों में अपेक्षाकृत स्थिर सरकार
- दल बदल के खिलाफ मतदाताओं में जागरूकता

www.drishtiias.com
8750187501, 8448485517

दल बदल रोकने के उपाय

अल्पकालिक.

- न्यायनिर्णयन में चुनाव आयोग की भूमिका में भी हो
- दलबदल करने वाले सदस्य के विरुद्ध न्यूनतम 6 वर्ष तक चुनाव न लड़ने का उपबंध
- 2/3 अपवाद को खत्म किया जाए.

दीर्घकालिक.

- दलबदल केवल वहीं पर लागू हो जहाँ सरकार की स्थिरता का प्रश्न हो
- भोगों तथा सदस्यों में राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा.

"दलबदल, मतदाताओं के प्रति धोखे के समान है, तथा दीर्घकालिक उपायों द्वारा इसपर रोक लगानी चाहिए"

6.0

www.drishtiias.com

drishti | दृष्टि The Vision

17. धन विधेयक क्या है? संसद में धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिये।

What is a Money Bill? Discuss the procedure of passing the Money bill in Parliament? (250 शब्द) 15 (250 words) 15

संविधान का अनु. 110 धन विधेयक को निम्न प्रकार परिभाषित करता है:

- किसी कर के अधिरोपण से संबंधित विधेयक या
- उधार लिये गये धन का विनियमन
- संचित निधि / आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा
- संचित निधि से धन का विनियोग

धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया:

- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, मंत्री द्वारा केवल लोकसभा में स्थापित किया जाएगा।
- लोकसभा से तीनों अवस्थाओं के पश्चात (अर्थात् प्रथम पाठन, द्वितीय

www.drishtiias.com
8448485517

पाठन तथा तृतीय पाठन) के उपरांत साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा।

- लोकसभा से पारित होने के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

- राज्यसभा विधेयक पर सिर्फ विचार कर सकती है तथा राज्यसभा द्वारा प्रेषित संशोधन मानना या न मानना लोकसभा के ऊपर पर निर्भर है।

- राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है।

- तत्पश्चात विधेयक राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाएगा।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

② राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है. वह विधेयक को वापस नहीं भेज सकते।

"इस प्रकार धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अनिभावी शक्तियाँ प्राप्त हैं तथा विधेयक का पारित होना सरकार की निरंतरता हेतु अत्यावश्यक है।"

6.5/15

drishti | दृष्टि The Vision

18. सरकार की संसदीय प्रणाली में, प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी के रूप में एक अद्वितीय स्थान रखता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

In a parliamentary system of government, the Prime Minister occupies a unique position as the most powerful functionary. Discuss. (250 words) 15

संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी जाती है.

प्रधानमंत्री का संसदीय प्रणाली में सबसे शक्तिशाली होने के कारण.

1. वह मंत्रिपरिषद का निर्माता तथा विघटनकर्ता होता है। (अनु. 75)
2. प्रधानमंत्री लोकसभा (निम्न सदन) का नेता होता है तथा सदन के कार्यक्रम को तय करने व सदन के सत्रों की अवधि के संदर्भ में महती भूमिका
3. व्यवहार में सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसादपर्यंत कार्य करते हैं.

www.drishtiias

वह सरकार की नीतियों का एजेंडा तय करता है।

प्रधानमंत्री संसद तथा राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी होता है। (अनु 78)

वह सशस्त्र सेवाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है।

विदेश नीति में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व

आपदा प्रबंधन में महती भूमिका

सरकार का चेहरा

प्रधानमंत्री की इस अद्वितीय भूमिका के पीछे संविधान के साथ-साथ वास्तविक राजनीति का भी योगदान होता है.

- आमतौर पर चुनाव उसी के नाम पर
- सरकार का बहुमत होने पर उसकी शक्ति में वृद्धि
- वहीं गठबंधन सरकार में शक्ति में कमी.

www.drishtiias.com
8448485517

"वर्तमान समय में लोकतंत्र में शक्तियों के विकेंद्रीकरण का अपना महत्व है अतः प्रयास किया जाना चाहिए कि वास्तव में मंत्रिमंडलीय सरकार का गठन हो न कि प्रधानमंत्री सरकार का"।

6.0
15

drishti | दृष्टि The Vision

19. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में राजनीतिक दलों और स्वैच्छिक योगदान से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख कीजिये तथा इसकी सीमाएँ बताइये। (250 शब्द) 15

List out the provisions related to political parties and voluntary contributions mentioned in Representation of the People Act, 1951 and state its limitations. (250 words) 15

जन प्रति. अधि. 1951, भारत में चुनाव संबंधी प्रावधानों को शासित करने के लिए अंबेला अधिनियम है.

राजनैतिक दलों और स्वैच्छिक योगदान संबंधी अधिनियम:

1. चुनावी दल विदेशी व्यक्तियों तथा कंपनियों से योगदान स्वीकार नहीं करेंगे

2. सरकारी कंपनी के अलावा भारतीय कंपनी से योगदान स्वीकार किया जा सकता है.

3. कंपनी के अतिरिक्त भारतीय नागरिक से योगदान पाने का अधिकार होगा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Drishti The Vision Foundation

- 20,000 से कम के योगदान पर राजनीतिक दल चंदा देने वाले व्यक्ति का नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं है
- 20,000 से अधिक के दान पर चुनाव आयोग को सूचित करना होगा।

सीमाएँ:

- इलेक्टोरल बॉण्ड से विसंगति
- 20,000 ₹ तक के दान पर अनामिता का अपबंध
- काले धन के चुनाव में दुरुपयोग को सीमित करने के अपबंध न होना.
- चुनावी दलों के मध्य विसंगति

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

आगे की राह:

1. इलेक्टोरल बॉण्ड से संगत किये जाने चाहिए।
2. राज्य समर्थित चुनावों के विचार को अपनाया जा सकता है।

चुनावी व्यय में पारदर्शिता स्वस्थ राजनीति की ओर अग्रसर करेगी।"

6.0/15

drishtiias.com

20. भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य विधान परिषद के महत्त्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

Critically discuss the significance of the State legislative council in Indian democratic setup. (250 words) 15

राज्यसभा की ही भाँति, राज्यों में विधानपरिषद के रूप में द्वितीय सदन की व्यवस्था है।

यथा- उत्तरप्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक;

हालांकि विधान परिषद की भूमिका राज्यसभा से पूर्णतः अलग है।

विधानपरिषद होनी चाहिए / सकारात्मक महत्व

1. यह बड़े राज्यों में जनता के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करती है

2. यह विधानसभा की पूरक भूमिका के रूप में वाद-विवाद का माध्यम बनती है।

3. यह विधानसभा द्वारा हड़बड़ी में

www.drishtiias.com

drishti | दृष्टि The Vision

धारित विधेयकों पर पुनर्विचार करती है तथा अपनी महत्वपूर्ण राय उपलब्ध कराती है।

4. यह विधायिका में संक्रांत व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराती है [1/3 अध्यापक + 1/3 स्नातक + 1/3 नगर निकाय + अन्य ...]

हालांकि आलोचकों का मानना है कि यह निम्न कार्यों/कारणों से अवांछित है तथा विधायी कार्यों में देरी का कारण बनती है-

1. यह सिर्फ तीन माह तक विधेयक को रोक सकती है
2. संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है
3. विधानपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति में विधानसभा की भूमिका

drishtiias.com

4. अधिकांश राज्यों में विधानपरिषद का संगठन राजनीतिक तुष्टीकरण को प्रदर्शित करता है।

" इन कमियों के बावजूद बड़े राज्यों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा विपक्ष की आवाज बनने में विधान परिषद का अहम योगदान है।

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)